



कार्यालय प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी,
गौरा डांडा, सीतापुर रोड, हरदोई-241001

पत्र संख्या-रा0मे0का0ह0/2023-24/S83

दिनांक-10/07/2023

कार्यालय ज्ञाप

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी, हरदोई में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञापित।

एन0एम0सी0/एम0सी0आई0 मानकों की पूर्ति हेतु इस चिकित्सा महाविद्यालय में रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को सविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतद्वारा आमन्त्रित किये जाते हैं। इन पदों पर चयन, चयन समिति के द्वारा वाक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सक्षात्कार हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ **दिनांक -14 जुलाई, 2023 से प्रत्येक शुक्रवार को जिला चिकित्सालय सम्बद्ध स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई के एडमिन ब्लाक में प्रातः 10:00 बजे** अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों की (स्व प्रमाणित) छायाप्रतियों का एक सेट बायोडाटा सहित उपस्थित हो। चिकित्सा शिक्षकों के पदों की रिक्तियों एवं नियुक्ति की शर्तें महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के वेबसाइट www.asmchardoi.org पर उपलब्ध हैं।

Sr. No.	Name of Specialization	Professor		Associate Professor		Assistant Professor	
		No. of Posts	Category	No. of Posts	Category	No. of Posts	Category
1	Orthopedics	01	OBC	01	SC		
2	Ophthalmology	-	-	-	-	01	SC
3	Obstetrics & Gynecology	01	SC			-	-
4	Emergency Medicine	-	-	01	OBC		
5	Anesthesiology	-	-	01	SC	02	OBC
6	Community Medicine	-	-	01	UR	-	-
				01	SC	01	UR
						01	OBC
						01	EWS
	R.H.T.C. (Medical Officer-Health cum Lecture/Assistant Professor)	-	-	-	-	01	EWS
	U.H.T.C. (Medical Officer-Health cum Lecture/Assistant Professor)	-	-	-	-	01	SC
7	General Medicine	01	OBC	-	-	02	OBC
8	General Surgery	-	-	01	OBC		
				01	UR		
9	Tuberculosis and Respiratory/Pulmonary Medicine	-	-	01	SC		
10	Dermatology, Venereology and Leprosy	-	-	01	UR	01	SC
11	Pediatrics	01	OBC	01	OBC	01	UR
12	Pathology	01	EWS	01	OBC		
						01	UR
13	Pharmacology	01	SC	01	SC		
						01	SC
14	Bio Chemistry	01	UR	-	-		
15	Forensic Medicine			01	UR	01	SC
16	Microbiology	01	OBC	01	SC		
17	Radio-Diagnosis	-	-	01	OBC	01	SC
18	Psychiatry	-	-	01	UR	01	UR
	Total	08		16		17	

नोट-एन0एम0सी0 मानकों एवं एल0ओ0पी0 को दृष्टिगत रखते हुए आदि आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी से रिक्त पद को भरने पर विचार किया जायेगा।

सविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत् हैं-

- सविदा पर नियुक्त किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन रूपया 1,35,000/ सह आचार्यों का नियत वेतन रूपया 1,20,000/ तथा सहायक आचार्यों को नियत वेतन रूपया 90,000/माह है, इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of

Supra



India Minimum Qualification for Teacher's in medical Institution's Regulation 1998 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।

शासनादेश सं०-2282/71-1-2013-जी०-11/2011 दिनांक 23.09.2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।

शासनादेश सं०- 562/71-1-2020-जी०-63/2008 दिनांक 10.06.2021 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।

चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव Autonomus State Medical College Uttar Pradesh, Principal and Teacher's (Recruitment & other Condition of Services) Model Rules 2020 में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।

- ओपीओडी० के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
- कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिये बाध्य नहीं करेगा।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाएं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
- उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाग अनुमन्य नहीं होंगे।
- संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोष जनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
- ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोष जनक सेवा के पश्चात् चयनित अभ्यार्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकता अनुसार इनकी संतोष जनक सेवा के आधार पर पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों के लिये यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्ति ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य/नोडल प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
- संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेशान सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिये कोई बोनस देय नहीं होंगे।
- चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिये हकदार नहीं होंगे।
- संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
- संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुबन्ध होगी।
- अभ्यार्थियों के साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
- उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/ 2019/4/1/ 2002/ का-2/19 टी०सी०-2 दिनांक 18.02.2019 के अन्तर्गत ई०डब्ल्यू०एस० (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु की वार्षिक आय रुपये 800 लाख कम होगी तथा परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत नेट पर देखा जा सकता है।
- पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
- उक्त साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



प्रधानाचार्य
रवशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
हरदोई।

तददिनांक

पत्रांक-रा०मे०का०ए०/2023-24/583-01/405/2023
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन, लखनऊ।
- डा० विकास कुमार तिवारी प्रमारी आई०टी० सेवशन को इस आशय से प्रेषित क उक्त विज्ञप्ति को कालेज की वेबसाइट www.asmchardoi.org पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- समस्त प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कालेज उ०प्र०।
- नोटिस बोर्ड पर चरपा करने का कष्ट करें।



प्रधानाचार्य
रवशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
हरदोई।